

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर

कार्यालय आदेश क्रमांक-स्टेनो/2023/26

दिनांक- 21.10.2023

कार्यालय आदेश

मैं, कीर्ति सिंहमार, आरजेएस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न शासकीय अवकाशों में बीकानेर जिले के आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं कार्यों के निस्तारणार्थ निम्न अधिकारी को अधिकृत करती हूँ जो कि उक्त कार्य अपने न्यायालय कक्ष में प्रातः 11.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य सम्पादित करेंगे तथा यदि किसी कारणवश राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार राजकीय अवकाश के अगले ही दिन अचानक राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है तो ऐसे घोषित राजकीय अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, वही अधिकारी ऐसे घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान आने वाले इन्क्वेस्ट व मृत्युकालीन बयान व अन्य विशेष कार्य भी उसी अधिकारी के द्वारा सम्पादित किए जायेंगे, जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है।

अवकाश दिवस जिसमें पीठासीन अधिकारी कार्य करेंगे	पीठासीन अधिकारी का नाम	पीठासीन अधिकारी के मोबाईल नम्बर	न्यायालय का नाम जिसके पीठासीन अधिकारी अवकाश दिवस में कार्य करेंगे।
05 नवम्बर 2023	श्रीमती विनिता यादव	9828999426	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण) बीकानेर
10-11 नवम्बर 2023	श्री सिद्धार्थ गोदारा	8872264849	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03 बीकानेर
12-13 नवम्बर 2023	श्रीमती परवीन बानू	7023190786	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, बीकानेर
14-15 नवम्बर 2023	श्री हुकमीचन्द गहनोलिया	9783471025	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बीकानेर
19 नवम्बर 2023	श्री अनुभव तिवाड़ी	8094271007	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर
25-26 नवम्बर 2023	सुश्री ज्योति रखावत	8800374684	न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03, बीकानेर
27 नवम्बर 2023	श्री हेमन्त जानू	9784422429	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बीकानेर

नोट:- (1) उक्त राजकीय अवकाशों के दिन ताल्लुका मुख्यालय पर उपस्थित अधिकारी अपने थाना क्षेत्र के रिमाण्ड दे सकेंगे।
(2) रिमाण्ड आवेदन अवकाशकालीन न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयावधि के दौरान ही पेश किये जायेंगे तथा अनावश्यक विलम्ब करने पर संबंधित थानाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

बीकानेर।

दिनांक:- 21.10.23

पत्र प्रेषण क्रमांक:-स्टेनो/2023/ 1515

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर को सूचनार्थ
- 2 श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बीकानेर
- 3 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण) बीकानेर
- 4 अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03 बीकानेर
- 5 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, बीकानेर
- 6 न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बीकानेर
- 7 न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर
- 8 न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03, बीकानेर
- 9 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बीकानेर
- 10 कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, बीकानेर
- 11 अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, बीकानेर
- 12 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, बीकानेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

बीकानेर।

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर

कार्यालय आदेश क्रमांक-स्टेनो/2023/27

दिनांक- 21.10.2023

कार्यालय आदेश

मैं, श्रीमती कीर्ति सिंहमार, आरजेएस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व के आदेश क्रमांक स्टेनो/2023/24 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 में (एकेडमी में प्रशिक्षण हेतु जाने के कारण) दिनांक 28-29 अक्टूबर, 2023 के राजकीय अवकाशों की सुश्री पूजा धानिया, आरजेएस अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, बीकानेर की रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त की जाती है एवं निम्नांकित शासकीय अवकाश में बीकानेर जिले के आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं कार्यों के निस्तारणार्थ निम्न अधिकारी को अधिकृत करती हूँ जो कि उक्त कार्य अपने न्यायालय कक्ष में प्रातः 11.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य सम्पादित करेंगे तथा यदि किसी कारणवश राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार राजकीय अवकाश के अगले ही दिन अचानक राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे घोषित राजकीय अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, वही अधिकारी ऐसे घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान आने वाले इन्क्वेस्ट व मृत्युकालीन बयान व अन्य विशेष कार्य भी उसी अधिकारी के द्वारा सम्पादित किए जायेंगे, जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है।

अवकाश दिवस जिसमें पीठासीन अधिकारी कार्य करेंगे	पीठासीन अधिकारी का नाम	पीठासीन अधिकारी के मोबाईल नम्बर	न्यायालय का नाम जिसके पीठासीन अधिकारी अवकाश दिवस में कार्य करेंगे।
28-29 अक्टूबर 2023	श्री अनुभव तिवारी	8094271007	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर

- नोट:-
- (1) उक्त राजकीय अवकाशों के दिन ताल्लुका मुख्यालय पर उपस्थित अधिकारी अपने थाना क्षेत्र के रिमाण्ड दे सकेंगे।
 - (2) रिमाण्ड आवेदन अवकाशकालीन न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयवधि के दौरान ही पेश किये जायेंगे तथा अनावश्यक विलम्ब करने पर संबंधित थानाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर।

पत्र प्रेषण क्रमांक:-स्टेनो/2023/1523
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:-21.10.2023

- 1 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर को सूचनार्थ
- 2 श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बीकानेर
- 3 अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, बीकानेर
- 4 न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर
- 5 कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, बीकानेर
- 6 अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, बीकानेर
- 7 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, बीकानेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर।